प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone&Fax:-0135-253154/2531072 E-Mail-eicpwduk@nic.in
Website-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांकः-305/76याता0 (क)–उ0/2018 दिनांकः 19 मार्च, 2018

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग,लो0नि0वि0,
देहरादून।

2. रीजनल ऑफिसर,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण,
उत्तराखण्ड।

विषय :– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सडक सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27.02.2017 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–998/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(34)/2018 दिनांक 07.02.2018 (संलग्न)

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत अवगत कराना है कि लीड एजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 15.02.2018 से 17.02.2018 तक जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत पडने वाले विभिन्न मार्गों पर निर्मित Speed Calming Measures का स्थल निरीक्षण किया गया, स्थल निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों का उल्लेख संलग्न कार्यवृत्त में किया गया है।

कृपया निरीक्षण टिप्पणी में इंगित कमियों का सुधार किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को दिशा–निर्देश निर्गत किये जांय।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0,उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0,उत्तराखण्ड शासन।
4– नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
5– अधीक्षण अभियन्ता, 10वॉं वृत्त, लो0नि0वि0 देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6– आई0टी0 सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून को pwd.uk.gov.in की Road Safety Gallery में Upload करने हेतु ।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या—998 / प्रवर्तन / 1—8(34) / स0सु0 / 2018 दिनांक 07 फरवरी, 2018

सेवा में,

1—प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड,
यमुना कॉलोनी, देहरादून।

2— मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग,
यमुना कॉलोनी, देहरादून।

विषयः **मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27—02—2017 को दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27—02—2017 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित ब्लैक स्पॉट speed calming measures आदि का स्थल निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15—02—2018 से 17—02—2018 तक हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले विभिन्न मार्गो पर निर्मित speed calming measures का स्थल निरीक्षण किया गया। लीड एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों का उल्लेख कार्यवृत्त में किया गया है।

अतः लीड एजेन्सी द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या अनिवार्य रूप से दिनांक 15—03—2018 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार मा0 समिति को अवगत कराया जा सके।

संलग्न—यथोक्त।

भवदीय,

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2— सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3— अधीक्षण अभियन्ता / नोडल अधिकारी, नवावृत, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
4— क्षेत्रीय अधिकारी, 58 / 37 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बलवीर रोड़, देहरादून।
5— सदस्य, लीड एजेन्सी, परिवहन आयुक्त कार्यालय।

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15—02—2018 से 17—02—2018 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु किये गये उपायों के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में एन0 एच0—58, 73 व 74 पर निर्मित speed calming measures का स्थल निरीक्षण का कार्यवृत्तः—

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27—02—2017 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15—02—2018 से 17—02—2018 तक हरिद्वार जनपद में एन0 एच0—58, 73 व 74 पर स्थापित किये गये speed calming measures का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के समय में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहेः—

लोक निर्माण विभागः—

1— श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सदस्य लीड एजेन्सी।

शिक्षा विभागः—

1— डा0 पुष्पा रानी वर्मा, सहायक निदेशक, सदस्य लीड एजेन्सी, (16—02—2018)

पुलिस विभागः—

1—श्री प्रबोध घिल्डियाल, निरीक्षक, पुलिस विभाग, सदस्य लीड एजेन्सी।

उक्त तिथियों में राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा अपने—अपने अधीनस्थ क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण करवाया गयाः—

1— श्री पी0एस0 गुसाई, प्रोजेक्ट मैनेजर, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।

2— श्री नरेश शर्मा, जनरल मैनेजर, ऐरा कम्पनी, देहरादून।

3— कर्नल एस0के0 चावला, तकनीकी सलाहाकार, एन0एच0ए0आई0, हरिद्वार।

4— कु0 यशोधरा बिष्ट, सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रूड़की।

6— श्री भव्य काम्बोज, कनिष्ठ अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रूड़की।

7— श्री अतुल कुमार, भूमि अध्यप्ति अधिकारी, एन0एच0ए0आई0।

8— श्री विनोद उनियाल, साईट इंजीनियर, एन0एच0ए0आई0, नजीबाबाद।

9— श्री मुकेश परिहार, प्रोजेक्ट मैनेजर, एन0एच0ए0आई0।

लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15—02—2018 से 17—02—2018 तक हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर निम्नलिखित दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण किया गया जिनका विवरण निम्नवत हैः—

1—दूधाधारी चौक :—

1.1 सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।

1.2 देहरादून की ओर मार्ग पर ब्लैक टॉप नहीं पाया गया।

1.3 निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे कम्पनी की अनावश्यक निर्माण सामग्री पड़ी हुई है जिसके कारण दुर्घटना होने की सम्भावना है। उक्त सामग्री को हटाकर एक सर्विस लेन का निर्माण किया जा सकता है।

1.4 दूधाधारी चौक से बाजार की ओर पैदल पथ मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक मार्किंग अदृश्य है।

1.5 हरिद्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।

2—चण्डी चौक :—

2.1 सड़क पर चौड़ीकरण का कार्य गतिमान है। हरिद्वार में यात्रा के दौरान एवं कावड़ मेले में पूर्व चण्डी घाट चौक पर यातायात के दबाव को कम करने व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अलकनन्दा होटल के सामने से यू टर्न बनाये

AD (RS)
26/02/18
(सुनीता सिंह)
... परिवहन आयुक्त
... उत्तराखण्ड

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून
26 FEB 2018
संख्या 1404

21/2/18

जाने की आवश्यकता है। इस हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराया गया।

2.2 निर्धारित गति सीमा का बोर्ड, रोड मार्किंग पेन्ट एवं चण्डी घाट चौक पर कंसट्रक्शन साईट पर डेलीनेटर लगाये जाने की आवश्यकता है।

3—शंकराचार्य चौकः—

3.1 लिंक रोड डाम कोठी एवं कनखल मार्ग पर ब्लिंकर व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड, रम्बल स्ट्रीप लगाये जाने की आवश्यकता है।

4—जान्वही डेल :—

4.1 यातायात के दबाव को कम करने हेतु कनखल से आने व जाने वाले वाहनों के लिये यूटर्न बनाये जाने की आवश्यकता है।

4.2 मार्ग पर कनखल की ओर ब्लिंकर व रम्बल स्ट्रीप तथा हाईवे पर निर्धारित गति सीमा बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।

5—सिंहद्वार :—

5.1 प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि फ्लाई ओवर का कार्य लगभग 02 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। दोनों ओर सर्विस लेन का निर्माण किया गया है। कनखल की ओर से आने वाले मार्ग पर रम्बल स्ट्रीप व ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।

6—गुरूकुल कांगड़ी :—

6.1 सम्बन्धित स्थान पर फोरलेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सड़क के दोनों ओर निर्धारित गति सीमा के बोर्ड तथा थर्मोप्लास्टिक पेन्ट मार्किंग से स्पीड ब्रेकर बनाये जाने की आवश्यकता है।

7—हरिलोक तिराहा :—

7.1 सम्बन्धित स्थान पर फोरलेन का कार्य गतिमान है। निर्धारित गति सीमा के बोर्ड तथा हरिलोक की ओर से आने वाले मार्ग पर ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।

7.2 ज्वालापुर की ओर से हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।

8—रानीपुर झाल :—

8.1 सम्बन्धित स्थान पर पुल से आगे व पीछे कैस बैरियर लगाये जाने की आवश्यकता है।

8.2 बहादराबाद की ओर कर्व पर डेलीनेटर तथा थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से रोड मार्किंग की आवश्यकता है।

8.3 निर्धारित गतिसीमा का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।

8.4 नहर की ओर से आने वाले लिंक मार्ग पर ब्लिंकर व स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है।

9—शनिदेव मन्दिर :—

9.1 सम्बन्धित स्थान पर फोरलेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। मन्दिर के दोनों ओर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट रोड मार्किंग व स्पीड ब्रेकर पर लगाये जाने की आवश्यकता है।

9.2 निर्धारित गति सीमा व चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।

21/2/18

10—शल्फर रोड :—

10.1 लिंग मार्ग को सर्विस लेन से जोड़ते हुये 200 मीटर आगे मुख्य मार्ग पर मिलाये जाने से यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

10.2 लिंग मार्ग पर ब्लिंकर व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।

11—मलकपुर चुँगी :—

11.1 यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण किया गया है। सम्बन्धित स्थल पर नगर निगम द्वारा प्रचार बोर्ड लगाये जाने से सड़क और ज्यादा संकरी हो गयी है। अतः इस स्थान पर निरन्तर अतिक्रमण अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है।

11.2 अतिक्रमण मुक्त कर सड़क की चौड़ाई दोनों ओर 2–2 मीटर बढ़ाकर ब्लैक टॉप किया जा सकता है। नगर पालिका की ओर जाने वाले यातायात को डिवाईडर बनाकर दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

11.3 नगर निगम की ओर आने वाले यातायात के लिए ब्लिंकर एवं स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है।

12—मिलिट्री चौक :—

12.1 मार्ग के दोनों ओर की पटरियों को चौड़ीकरण कर मार्ग की कैरिज–वे की चौड़ाई बढ़ाते हुए मार्ग के बीच में डिवाइडर बनाकर यातायात को नियंत्रित किया जाए। दोनों ओर मार्ग पर ब्लिंकर व रोड साइनेज लगाया जाए।

13—संजय गुरंग पेट्रोल पम्प से कस्बा औरंगजेबपुर तक :—

13.1 मार्ग के दोनों ओर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से मार्किंग की जाए। दोनों ओर डेलीनेटर लगाये जाए तथा काशन बोर्ड व स्पीड लीमिट का बोर्ड लगाया जाए।

14—मंडावर (एन0एच0—73 किमी0—25.100) :—

14.1 फोरलेन कार्य प्रगति पर है। स्पीड लीमिट तथा कार्यप्रगति पर है, का बोर्ड लगाया जाए।

15—पुहाना (एन0एच0—73 किमी0—13) :—

15.1 दोनों लिंक मार्ग पर स्पीड ब्रेकर पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट लगाया जाए। ब्लिंकर व स्पीड लीमिट का बोर्ड लगाया जाए।

16—नारसन (एन0एच0—58) :—

16.1 तिराहे से पूर्व लिंक रोड पर 8–10 रो में बिटुमिनस स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। ब्लिंकर बनाये जाने की आवश्यकता है तथा स्पीड लीमिट का बोर्ड लगाया जाए व तिराहे के पास पैदल यात्रियों हेतु जैब्रा क्रासिंग बनाया जाए।

17—शुगर मिल से छिब्बर हेडी :—

17.1 स्पीड लीमिट का बोर्ड लगाया जाए। पैरापेट पर पेन्ट किया जाए तथा थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट मार्ग के दोनों ओर लगाया जाए।

18—देवबन्द तिराहा :—

18.1 लिंग मार्ग पर बिटुमिनस 8—10 रो में स्पीड ब्रेकर बनाया जाए तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लिंकर्स बनाये जाए व स्पीड लीमिट के बार्ड लगाया जाए।

19—देवबन्द तिराहा से कस्बा मार्केट :—

19.1 सम्बन्धित स्थान पर दायीं ओर नवनिर्मित पुल पर यातायात डायवर्ट करने हेतु रोड साइनेज लगाया जाए। थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट लगाया जाए।

21/2/18

19.2 मार्ग पर अवस्थित अतिक्रमण से दुर्घटना घटित होने की सम्भावना के दृष्टिगत अतिक्रमण को हटाते हुये सर्विस लेन का कार्य पूर्ण किया जाए।

20--शिकारीवाला पीर से दीप शिखा :--

20.1 लण्डोरा लिंक मार्ग पर 08 रो में बिटमिनस स्पीड ब्रेकर बनाये जाए। सर्विस लेन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। लिंक रोड पर स्पीड लीमिट का बोर्ड लगाया जाए तथा थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट कराया जाए।

21--डबल फाटक ओवर ब्रिज मोहनपुरा :--

21.1 दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्षतिग्रस्त सड़क की शीघ्र मरम्मत की जाए। रोड साइनेज व थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से मार्किंग की जाए।

22--तिरछापुल :--

22.1 सम्बन्धित मार्ग पर काशनबोर्ड/स्पीड लीमिट का बोर्ड लगाया जाए। थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट तथा डेलीनेटर्स लगाये जाए।

23--बिरला फैक्ट्री से शनिदेव मन्दिर के मध्य :--

23.1 लिंग मार्ग पर स्पीड लीमिट व रोड साइनेज का बोर्ड लगाया जाए तथा स्पीड ब्रेकर पर थर्मोप्लास्टिक मार्किंग की जाए।

24--रसिया बड़ :--

24.1 हाथी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सम्बन्धित मार्ग पर बिटुमिनस के 8--10 रो में स्पीड ब्रेकर बनाया जाए तथा स्पीड लीमिट व रोड साइनेज के बोर्ड लगाये जाए।

25--गैण्डी खाता :--

25.1 हाथी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सम्बन्धित मार्ग के दोनों ओर सोल्डर्स को फिलिंग द्वारा लेबल करते हुए स्पीड ब्रेकर बनाया जाए तथा स्पीड लीमिट व रोड साइनेज के बोर्ड लगाये लाए।

22/2/18
(प्रबोध चिल्डियाल)
निरीक्षक, पुलिस विभाग,
सदस्य लीड एजेन्सी।

(जे0पी0 गुप्ता) 21/2/18
अधीक्षण अभियन्ता,
सदस्य लीड एजेन्सी।